

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -924/2022

अनवान : -

1. किशनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. इन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नेमीचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. मनोहरलाल पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
5. श्योचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. सलीन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
7. साहबराम पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा रावतसर।
10. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।
11. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 23/10/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआरए तहसील नोहर के खाता स0 15/12 की कुल 4.4780 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में लगान काश्त एवं सीव का झगड़ा रहता है इसलिए वादीगण मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के हिसाब से खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदा भूमि के मुताबिक खाता व लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6 व 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया की वादी प्रतिवादीगण के अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रवाना अतः मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। उभयपक्ष ने निवेदन किया की साक्ष्य नहीं करवाना चाहते हैं बहस सुनी जावे। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा 1 एनएचआरए खाता स0 15/12 पेश की जो की शामिल मिसल की गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।


विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया की मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 1 एनएचआरए तहसील नोहर के खाता स0 15/12 की कुल 4.4780 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 1 एनएचआरए तहसील नोहर के खाता स0 15/12 की कुल 4.4780 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


- 1 इन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण हि0 1/4 जाति बिश्नोई सा0 रावतसर खातेदार, राहिन पूर्ण खाता केनरा बैंक शाखा रावतसर, मनोहरलाल पुत्र रामनारायण हि0 1/4 जाति बिश्नोई सा0 रावतसर खातेदार, सलीन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण हि0 1/4 जाति बिश्नोई सा0 रावतसर खातेदार राहिन पूर्ण खाता, साहबराम पुत्र रामनारायण हि0 1/4 जाति बिश्नोई सा0 रावतसर खातेदार राहिन पूर्ण खाता केनरा बैंक शाखा रावतसर— ग्राम 1 एनएचआरए तहसील नोहर के प0न0 299/435 मु0न0 (27) किला न0 4 की .114 हैक्ट नहरी, किला न0 7 की 0.0630 हैक्ट नहरी, प0न0 300/435 मु0न0 (26) किला न0 14 की 0.2530 हैक्ट नहरी, किला न0 17 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 300/436 मु0न0 (29) किला न0 5/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, किला न0 5/2 की 0.2280 हैक्ट, किला न0 6 की 0.2530 हैक्ट, किला न0 15 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 301/436 मु0न0 30 के किला न0 20 मे से 0.146 हैक्ट कुल किता 9 की कुल 1.588 हैक्ट कुल नहरी 1.563 हैक्ट गैर मु0 रास्ता— 0.0250 हैक्ट
- 2 किशनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण सा0 नोहर खातेदार, राहिन पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नोहर— ग्राम 1 एनएचआरए तहसील नोहर के प0न0 301/437 मु0न0 (49) किला न0 8 में से 0.088 नहरी, किला न0 13 की 0.2370 हैक्ट नहरी, किला न0 18 की 0.2530 हैक्ट नहरी, कुल किता 3 कुल योग— 0.5780 हैक्ट नहरी
- 3 नेमीचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार— ग्राम 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 301/437 मु0न0 49 के किला न0 2 में .196 नहरी, किला न0 3 में .217 हैक्ट नहरी, किला न0 8 में से .165 हैक्ट नहरी, कुल किता 3 कुल योग 0.5780 हैक्ट नहरी


उपस्थित अधिकारी
नोहर

- 4 शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार— ग्राम 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 301/436 (30) के किला न0 22 की 0.2530 हैक्ट नहरी, किला न0 23 की 0.2530 हैक्ट नहरी, प0न0 301/437(49) किला न0 2 में से 0.0360 हैक्ट नहरी, किला न0 3 में से 0.0360 हैक्ट कुल किता 4 कुल योग 0.5780 हैक्ट नहरी
- 5 श्योचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण सा0 नोहर खातेदार— ग्राम 1 एनएचआरए तहसील नोहर प0न0 301/437 मु0न0 (49) किला न0 1 में से 0.0350 हैक्ट, किला न0 2 में से 0.0210 हैक्ट नहरी, किला न0 9 की 0.2530 हैक्ट नहरी, किला न0 10 की 0.2530 हैक्ट नहरी, किला न0 13 की 0.016 हैक्ट कुल किता 5 कुल योग 0.5780 हैक्ट नहरी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ...23/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -924/2022

अनवान : -

1. किशनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. इन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नेमीचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. मनोहरलाल पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
5. श्योचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. सलीन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
7. साहबराम पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा रावतसर।
10. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।
11. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 924 सन 2022 निर्णय दिनांक -23/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 1 एनएचआरए तहसील नोहर के खाता स0 15/12 की कुल 4.4780 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


- 1 इन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण हि0 1/4 जाति बिश्नोई सा0 रावतसर खातेदार, राहिन पूर्ण खाता केनरा बैंक शाखा रावतसर, मनोहरलाल पुत्र रामनारायण हि0 1/4 जाति बिश्नोई सा0 रावतसर खातेदार, सलीन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण हि0 1/4 जाति बिश्नोई सा0 रावतसर खातेदार राहिन पूर्ण खाता, साहबराम पुत्र रामनारायण हि0 1/4 जाति बिश्नोई सा0 रावतसर खातेदार राहिन पूर्ण खाता केनरा बैंक शाखा रावतसर- ग्राम 1 एनएचआरए तहसील नोहर के प0न0 299/435 मु0न0 (27) किला न0 4 की .114 हैक्ट नहरी, किला न0 7 की 0.0630 हैक्ट नहरी, प0न0 300/435 मु0न0 (26) किला न0 14 की 0.2530 हैक्ट नहरी, किला न0 17 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 300/436 मु0न0 (29) किला न0 5/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, किला न0 5/2 की 0.2280 हैक्ट, किला न0 6 की 0.2530 हैक्ट, किला न0 15 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 301/436 मु0न0 30 के किला न0 20 मे से 0.146 हैक्ट कुल कित्ता 9 की कुल 1.588 हैक्ट कुल नहरी 1.563 हैक्ट गैर मु0 रास्ता- 0.0250 हैक्ट

 उपखण्ड अधिकारी
नोहर

- 2 किशनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण सा0 नोहर खातेदार, राहिन पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नोहर- ग्राम 1 एनएचआरए तहसील नोहर के प0न0 301/437 मु0न0 (49) किला न0 8 में से 0.088 नहरी, किला न0 13 की 0.2370 हैक्ट नहरी, किला न0 18 की 0.2530 हैक्ट नहरी, कुल किता 3 कुल योग- 0.5780 हैक्ट नहरी
- 3 नेमीचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार- ग्राम 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 301/437 मु0न0 49 के किला न0 2 में .196 नहरी, किला न0 3 में .217 हैक्ट नहरी, किला न0 8 में से .165 हैक्ट नहरी, कुल किता 3 कुल योग 0.5780 हैक्ट नहरी
- 4 शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार- ग्राम 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 301/436 (30) के किला न0 22 की 0.2530 हैक्ट नहरी, किला न0 23 की 0.2530 हैक्ट नहरी, प0न0 301/437(49) किला न0 2 में से 0.0360 हैक्ट नहरी, किला न0 3 में से 0.0360 हैक्ट कुल किता 4 कुल योग 0.5780 हैक्ट नहरी
- 5 श्योचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण सा0 नोहर खातेदार- ग्राम 1 एनएचआरए तहसील नोहर प0न0 301/437 मु0न0 (49) किला न0 1 में से 0.0350 हैक्ट, किला न0 2 में से 0.0210 हैक्ट नहरी, किला न0 9 की 0.2530 हैक्ट नहरी, किला न0 10 की 0.2530 हैक्ट नहरी, किला न0 13 की 0.016 हैक्ट कुल किता 5 कुल योग 0.5780 हैक्ट नहरी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 23/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर